न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुध्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
61/24	03/07/2024	30/7/24

सुरेन्द्र गोचर आत्मज रधुवीर जाति गूजर निवासी शोली तह0 दीगोद।

– वादी

बनाम

1 – देवेन्द्र गोचर आत्मज रधुवीर जाति गूजर

2 – रधुवीर आत्मज मोतीलाल जाति गूर्जर निवासीगण शोली तह0 दीगोद।

3 – राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद अ0धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी न.2 के खाता न. नया 161 पर ग्राम शोली तह दीगोद में खसरा नम्बर 1138 की 0.47 है0 भूमि दर्ज चला आ रही है। नकल जमाबंदी पेश है।

यह कि प्रतिवादी न.2 के खाता न. नया 160 पर ग्राम शोली तह दीगोद में कुल 11 किता की 7.03 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। खसरा नम्बर 932 की 0.21 है0, खसरा नम्बर 934 की 1.05 है0, खसरा नम्बर 1088 की 0.27 है0, खसरा नम्बर 1095/1 की 0.91 है0, खसरा नम्बर 1134 की 0.44 है0, खसरा नम्बर 1136 की 0.92 है0, खसरा नम्बर 1137 की 1.07 है0, खसरा नम्बर 1139 की 0.21 है0, खसरा नम्बर 1165/1093 की 0.48 है0, खसरा नम्बर 1204/1120 की 1.08 है0 दक्षिण, खसरा नम्बर 1206/1130 की 0.39 है0 उत्तर कुल 11 किता क़ी 7.03 है0 भूमि स्थित है।

यह कि प्रतिवादी न. 2,,वादी व प्रतिवादी न 1 के पिता है तथा वादी व प्रतिवादी न.1 प्रतिवादी न. 2 के पुत्र है जो अपने पिता के साथ ही निवास करते है। उपरोक्त भूमिया वादी व प्रतिवादी न.1 की भूमियां है तथा आजिविका का एक मात्र साधन है तथा वादी व प्रतिवादी न.1 प्रतिवादी न. 2 के साथ शामलाती रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण प्रतिवादी न. 2 साथ वादी व प्रतिवादी न.1 को खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी न. 2 के साथ वादी व प्रतिवादी न. 1 को सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक् है।

यह कि वादी व प्रतिवादी न.1 का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादी न. 2 को वादी व प्रतिवादी न.1 का नाम बहैसियत खातेदार के रूप मे राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने हेतु दिनांक 25.06.2024 को कहा तो प्रतिवादी न.2 ने वादी का नाम दर्ज कराने से इंकार कर दिया। उक्त परिस्थितियो में वादी के लिए माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा,इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक् हो गया है। वाद करण दिनांक 15.06.2024 को राजस्व रेकार्ड में बहैसियत खातेदार धोषित करवाने से मना करने पर हुआ है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद न 1 में अंकित भूमि खाता न. नया 161 पर ग्राम शोली तह दीगोद में खसरा नम्बर 1138 की 0.47 है0 व वाद पत्र की मद संख्या 02 में अंकित आराजी खाता न. नया 160 पर ग्राम शोली तह दीगोद में कुल 11 किता की 7.03 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। खसरा नम्बर 932 की 0.21 है0, खसरा नम्बर 934 की 1.05 है0, खसरा नम्बर 1088 की 0.27 है0, खसरा नम्बर 1095/1 की 0.91 है0, खसरा नम्बर 1134 की 0.44 है0, खसरा नम्बर 1136 की 0.92 है0, खसरा नम्बर 1137 की 1.07 है0, खसरा नम्बर 1139 की 0.21 है0, खसरा नम्बर 1165/1093 की 0.48 है0, खसरा नम्बर 1204/1120 की 1.08 है0 दक्षिण, खसरा नम्बर 1206/1130 की 0.39 है0 उत्तर कुल 11 किता की 7.03 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी न. 1 को प्रतिवादी न. 2 के साथ सहखातेदार धोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से उपस्थित होकर वकील हरिशंकर मेधवाल द्वारा वकालतनामा एवं इकबाली जवाब दावा पेश किया। वकील पक्षकारान् द्वारा अवगत

राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद डिकी फरमाया जावे। पत्रावली में वादीगण द्वारा वारिसान् के संबध में शपथ पत्र पेश किया जो शा0फा0 है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद को मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को सहखातेदार धोषित किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रवाली में वकील वादी की बहस एवं वाद पत्र, जवाब वाद पत्र एवं राजीनामा, का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074–2077 माल ग्राम शोली तह0 दीगोद, खाता संख्या नया 161 पुराना 116 एवं जमाबंदी संवत् 2074–2077 माल ग्राम शोली तह0 दीगोद, खाता संख्या नया 160 पुराना 152 में प्रतिवादी न.2 रधुवीर बतोर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादी एव प्रतिवादीगण पिता एवं पुत्र है। पिता की संम्पति मे पुत्र का हक अधिकार जन्म से निहित है। पत्रावली में इकबाली जवाब एवं राजीनामा पेश किया हुआ है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर खाता न. नया 161 पर ग्राम शोली तह दीगोद में खसरा नम्बर 1138 की 0.47 है0 व वाद पत्र की मद संख्या 02 में अंकित आराजी खाता न. नया 160 पर ग्राम शोली तह दीगोद में कुल 11 किता की 7.03 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। खसरा नम्बर 932 की 0.21 है0, खसरा नम्बर 934 की 1.05 है0, खसरा नम्बर 1088 की 0.27 है0, खसरा नम्बर 1095/1 की 0.91 है0, खसरा नम्बर 1134 की 0.44 है0, खसरा नम्बर 1136 की 0.92 है0, खसरा नम्बर 1137 की 1.07 है0, खसरा नम्बर 1139 की 0.21 है0, खसरा नम्बर 1165/1093 की 0.48 है0, खसरा नम्बर 1204/1120 की 1.08 है0 दक्षिण, खसरा नम्बर 1206/1130 की 0.39 है0 उत्तर कुल 11 किता की 7.03 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी न. 1 को प्रतिवादी न. 2 के साथ सहखातेदार कृषक धोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/7/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

दीगोद